राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष नं०:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309. ई–मेल:–jacct-dta @rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ.3(ख)/(/2022) अलेसे–III/6658

दिनांक:– दिनांक 26.8.25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव–नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परीविक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अंग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार श्री/श्रीमती/सुश्री	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	चुनाराम	एम.ए प्रिवियस (अर्थशास्त्र) वर्ष 2024–25 (स्वंयपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	उपकोषाधिकारी शिव, बाड़मेर।
2.	अंजू कुमारी	एम.ए प्रिवियस (हिन्दी साहित्य) वर्ष 2024–25 (स्वंयपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	कोषाधिकारी, कोषालय भरतपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजरथान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. शिक्षण संरथान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ.3(ख)/(/2022) अलेसे–III/6658

दिनांक:– 26.8.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:\sas-ii\seema/Note Sheet